राजस्व वाद 138/2024
जीसीएमएस नंबर–2024/223
रामनिवास बनाम हरीराम वगैरह

–::आदेश::–

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सोनेली में खाता 559 के खेत खसरा नंबर 110 रकबा 0.3804 हैक्टैयर, खसरा नंबर 286 रकबा 3.2860 हैक्टैयर, खसरा नंबर 288 रकबा 3.4641 हैक्टैयर, खसरा नंबर 394 रकबा 4.0792 हैक्टैयर, खसरा नंबर 564 रकबा 5.2447 हैक्टैयर, खसरा नंबर 696 रकबा 2.1772 हैक्टैयर, खसरा नंबर 80 रकबा 4.0549 हैक्टैयर मुतदाविया भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 286 रकबा 3.2860 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 शैतानराम के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 80 रकबा 4.0549 हैक्टैयर में से 2.4281 हैक्टैयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 मुकेश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 288 रकबा 3.4641 हैक्टैयर में से 1.7320 हैक्टैयर पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी संख्या 4 नरेश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 288 रकबा 3.4641 हैक्टैयर में से 1.7321 हैक्टैयर पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. वादी संख्या 5 सुरेश के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 394 रकबा 4.0792 हैक्टैयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व वादी संख्या 4 नरेश के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त एव सहखातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 80 रकबा 4.0549 हैक्टेर में से 1.6268 हैक्टैयर माफिक नजरीनक्शानुसार दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
7. प्रतिवादी संख्या 1 हरिराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा सोनेली का खेत खसरा नंबर 696 रकबा 2.1772 हैक्टेयर, खसरा नंबर 110 रकबा 0.3804 हैक्टेयर, खसरा नंबर 564 रकबा 5.2447 हैक्टेयर पूरा यथावत रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
8. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
9. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिता ...)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner